कार्यालय, मुख्य षिक्षा अधिकारी, चम्पावत

जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों पर अल्पकालीन षिक्षण हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग षिक्षकों का पूल गठित किये जाने हेतु विज्ञप्ति।

विज्ञापन संख्या–......01..........

शासनादेश संख्या–151/XXIV–नवसृजित/2015–07(2)/14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग –नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल, 2015 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–307/XXIV– नवसृजित /2015–07 (02)/14 दिनांक 06 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या–389/XXIV– नवसृजित/ 2015–07(2)/14 दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या–565/XXIV–नवसृजित 15–07(2)/14 दिनांक 04 अगस्त, 2015 तथा शासनादेश संख्या–240/XXIV–नवसृजित/ 16–07(2)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के क्रम में जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश चिकित्सावकाश आदि के कारण निम्नांकित पदों पर छात्रहित/जनहित में नितान्त अस्थायी व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गठित किया जाना है :–

(अ) स0अ0एल0टी0 संवर्ग

क्र0सं0	शाखा	विषय जिनमें विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किया जाना है।
1	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी,गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामान्य,संगीत, कला, व्यायाम, उर्दु
2	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी,गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, उर्दु

(ब) प्रवक्ता संवर्ग

क्र0सं0	शाखा	विषय जिनमें विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किया जाना है।
1	महिला	हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,भौतिक,रसायन,गणिज,जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र,अर्थषास्त्र,इतिहास,भूगोल,मनोविज्ञान,गृह विज्ञान
2	सामान्य	हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,भौतिक,रसायन,गणिज,जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थषास्त्र,इतिहास,भूगोल,समाज शास्त्र,वाणिज्य,कृषि

1.सम्बन्धित जनपद में निवासरत इच्छुक अभ्यर्थी, जो सहायक अध्यापक एल0टी0 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 यथा प्रथम संषोधित–2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विषेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) नियमावली–2008 में निहित प्राविधानानुसार शैक्षिक/प्रषिक्षण अर्हताधारी हों, से **स0अ0एल0टी0 संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के षिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।**

1. **आयु सीमा** :– अभ्यर्थी की आयु **दिनांक 01–07–2015** को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम् 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। आरक्षित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
2. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

3. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित सेवा नियमावली एवं सम्बन्धित शासनादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय वैबसाइड **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइड से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. इच्छुक/अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारुप पर आवेदन पूर्ण कर वांछित समस्त अभिलेख संलग्न कर पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निवासरत जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
5. जनपद स्तर पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर चयन जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
6. विषयवार अनुमोदित सूची में से मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मैरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विद्यालय में **स्थानान्तरण/नियमित नियुक्ति/पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने, मातृत्व/बाल्य देखमाल अथवा दीर्घावकाश से वापस आने तक अथवा 89 दिन, जो भी पहले हो, तक अनुबन्धित किया जायेगा।**
7. **महिला अभ्यर्थी सामान्य शाखा एवं महिला शाखा (दोनों शाखाओं) हेतु पृथक–पृथक आवेदन कर सकती हैं, किन्तु पुरुष अभ्यर्थी मात्र सामान्य शाखा में ही आवेदन करने के पात्र होंगे। महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विषयों हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।** स0अ0एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों हेतु भी पृथक–पृथक आवेदन किया जाना होगा।
8. **अभ्यर्थी द्वारा अपने निवासरत जनपद हेतु ही आवेदन किया जायेगा।**
9. नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में चयनित् अभ्यर्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने व अन्य कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।
10. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में योगदान देने से पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।
11. उक्त व्यवस्था नितान्त कामचलाऊ एवं छात्रहित/जनहित में की जा रही है, फलस्वरूप गठित पूल में चयनित अभ्यर्थी का नियमित नियुक्ति/विनियमितीकरण एवं अन्य किसी प्रकार के अधिमान हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तलिपि में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित) **9" X12" के लिफाफे** में रखकर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर **"विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या–.............. एवं आवेदित पद नाम .... विषय......... .... शाखा...............(महिला एवं सामान्य)** अवश्य अंकित की जाय। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम **तिथि दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के सांय 5.00 तक** है, इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र विभागीय वैबसाइड **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

आज्ञा से
मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत।
कार्यालय का पता.........................

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 संवर्ग में अल्पकालीन शिक्षण के लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र वर्ष–2016

पासपोर्ट साइज की नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें

1. विज्ञापन संख्या– 01
2. आवेदित जनपद का नाम ....
3. आवेदित विषय का नाम :..
4. शाखा का नाम–
   (पुरूष अभ्यर्थी मात्र सामान्य शाखा के सम्मुख सही (√) का निषान लगायें। महिला अभ्यर्थी सामान्य अथवा महिला शाखा दोनों में से किसी एक के सम्मुख ही सही (√) का निषान अंकित करें)
   (पृथक–पृथक विषयों हेतु तथा महिला अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में पृथक–पृथक शाखाओं हेतु पृथक–पृथक आवेदन किए जायेंगे)

महिला शाखा	सामान्य शाखा

5. अभ्यर्थी का नाम :.. लिंग: महिला/पुरूष ....
6. पिता/पति का नाम : ....
7. जन्मतिथि : (अंको में)..
   (षब्दों में)..
8. **दिनांक 01–जुलाई, 2015** को आयु : वर्ष ....माह..................दिन..............
9. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक ....
   (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
10. गृह जनपद : ....
11. पत्र व्यवहार का पता : ....
    ....
12. स्थाई पता : ....
    ....
    ....
13. सम्बन्धित जनपद में निवासरत रहने का साक्ष्य/प्रमाण ....
    (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)
14. जाति (अनु0जाति, अनुसचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग)..
    (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
15. फोन नं0 .... मोबाईल नं0 : ....

16. शैक्षिक योग्यता :–(समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें)

क्र0 सं0	परीक्षा का नाम		विषय	बोर्ड/विष्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	हाईस्कूल						
2	इण्टरमीडिएट						
3	स्नातक– प्रथम वर्ष						
	–द्वितीय वर्ष						
	–तृतीय वर्ष						
	योग :–						
4	टी0ई0टी0–II						
5	प्रषिक्षण (बी0एड0/ एल0टी0)	लिखित					
		क्रियात्मक					

घोषणा

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....

..........................घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा स0अ0एल0टी0 पद पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था विषयक निर्गत समस्त शासनादेष ध्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे, वह मुझे पूर्णतया मान्य हैं।
2. मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त निवासरत जनपद में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है ।
3. उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा सभी प्रविष्टियाँ सही व सत्य भरी गयी हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची से पृथक करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची में चयन होने की दशा में मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायेगा।
5. **मेरे द्वारा आवेदन पत्र को भंलीभाँति पढ़ने के उपरान्त आवेदन किया गया है, किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।**

दिनांक :.......................................

संलग्नक–............

हस्ताक्षर–

अभ्यर्थी का पूरा नाम–

पता :–

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण के लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2016

पासपोर्ट साइज की नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें

1. विज्ञापन संख्या–01
2. आवेदित जनपद का नाम ....
3. आवेदित विषय का नाम :..
4. शाखा का नाम–
   (पुरूष अभ्यर्थी मात्र सामान्य शाखा के सम्मुख सही (√) का निषान लगायें। महिला अभ्यर्थी सामान्य अथवा महिला शाखा दोनों में से किसी एक के सम्मुख ही सही (√) का निषान अंकित करें)
   (पृथक–पृथक विषयों हेतु तथा महिला अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में पृथक–पृथक शाखाओं हेतु पृथक–पृथक आवेदन किए जायेंगे)

महिला शाखा	सामान्य शाखा

5. अभ्यर्थी का नाम :.. लिंग: महिला/पुरूष ....
6. पिता/पति का नाम : ....
7. जन्मतिथि : (अंको में)..
   (षब्दों में)..
8. **दिनांक 01–जुलाई, 2015** को आयु : वर्ष ....माह..................दिन................
9. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक ....
   (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
10. गृह जनपद : ....
11. पत्र व्यवहार का पता : ....
    ....
    ....
12. स्थाई पता : ....
    ....
    ....
13. सम्बन्धित जनपद में निवासरत रहने का साक्ष्य/प्रमाण ....
    (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)
14. जाति (अनु0जाति, अनुसचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग)..
    (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

15. फोन नं0 .... मोबाईल नं0 : ....

16. शैक्षिक योग्यता :–**(समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की छायाप्रतियाँ संलग्न करें)**

क्र0 सं0	परीक्षा का नाम		विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	हाईस्कूल						
2	इण्टरमीडिएट						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	प्रशिक्षण (बी0एड0/ एल0टी0)	लिखित					
		क्रियात्मक					

घोषणा

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
....घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा प्रवक्ता पद पर अल्पकालीन अवधि में षिक्षण हेतु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था **विषयक निर्गत समस्त शासनादेश ध्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे, वह मुझे पूर्णतया मान्य** हैं।
2. मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त निवासरत जनपद में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है।
3. उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा सभी प्रविष्टियाँ सही व सत्य भरी गयी हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची से पृथक करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची में चयन होने की दषा में मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायेगा।
5. **मेरे द्वारा आवेदन पत्र को भंलीभाँति पढ़ने के उपरान्त आवेदन किया गया है, किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति हेतु मैं स्वयं उत्तारदायी रहूँगा/रहूँगी।**

दिनांक :.......................................

संलग्नक–............

हस्ताक्षर–

अभ्यर्थी का पूरा नाम–